बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत Civil Appeal No. 9482/2019 (Arising out of Special Leave Petition (civil) No. 12245/2017) डॉ॰ (मेजर) मीता सहाय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक– 17.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा के बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक (वि.सं. 05/2015) के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
शुक्रवार 19.01.2024	500237, 501087, 501165, 501361, 501979

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक (Roll No.) डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।** आयोग के उक्त वेबसाईट पर (i) आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं (ii) परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र–II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I एवं प्रपत्र–II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

03. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना एवं न्यायादेश के आलोक में दावा से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी के स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगाः–

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक का मूल प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण पत्र ।

(ii) बी.डी.एस. के सभी सत्रों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण परीक्षाओं के अलग–अलग मूल अंक पत्र।
नोटः– अनुत्तीर्णता की स्थिति में अभ्यर्थी जिस सत्र/वर्ष में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उस सत्र/वर्ष का अनुत्तीर्ण अंक पत्र भी लाना अनिवार्य होगा।

(iii) बी.डी.एस. उत्तीर्णता से सम्बन्धित Attempt Certificate जो कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत हो।
नोटः– उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) बी.डी.एस. उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।

(v) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।

(vi) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री का मूल अंक पत्र।

(vii) बिहार राज्य की परिसीमा में अवस्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों, शहरी निकायों/पंचायत राज्य संस्थाओं/अन्य सार्वजनिक प्राधिकार से संचालित Non-Private Hospitals में कार्य करने संबंधी दिनांक– 05.06.2015 तक कार्यानुभव प्रमाण पत्र (दावा किये गये अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र/प्रोन्नति पत्र एवं योगदान पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा)।

(viii) बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 अथवा डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 में निहित प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकार से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।

(ix) निबंधन प्रमाण पत्र की अद्यतन पर्ची (Renewal Receipt)।

(x) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(xii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(xiii) निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

(xiv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि 05.06.2015 तक निर्गत होना चाहिए।

04. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति साक्षात्कार के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।

05. यदि साक्षात्कार के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपको साक्षात्कार में शामिल नहीं कराया जायेगा।

06. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

07. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

09. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन** इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

10/9/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना